संख्या :13/2015/400/छप्पन-2015-71/13

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 24 मार्च, 2015

विषय : प्रदेश में वायुसेवा संचालन हेतु हैंगर की सुविधा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 1236-38/ना0उ0नि0/फैजाबाद/2015, दिनांक 16 मार्च, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विकास निगम लि0, लखनऊ द्वारा प्रदेश में वायुसेवा संचालन हेतु राज्य सरकार का फैजाबाद स्थित एयरपोर्ट में हैंगर नि:शुल्क एक वर्ष के लिये वायुसेवा प्रदाता मै0 नार्थ ईस्ट शटल, प्रा0लि0, कोलकाता को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निजी वायुसेवा प्रदाता कम्पनी मै0 नार्थ ईस्ट शटल, प्रा0लि0, कोलकाता को वायुसेवा संचालन हेतु एक वर्ष के लिए राजकीय हवाई पट्टी फैजाबाद स्थित हैंगर के नि:शुल्क उपयोग की अनुमति प्रदान करते हैं।

4- चूंकि द्विपक्षीय सहमति से उक्त हवाई पट्टी और हवाई पट्टी स्थित अन्य परिसम्पत्तियों को राज्य सरकार द्वारा यथा-स्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को तकनीकी रूप से हस्तांतरित किया जा चुका है। अत: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई शुल्क मॉगा जाता है तो वह निजी वायुसेवा प्रदाता कम्पनी के स्तर से देय होगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 13/2015/400(1)/छप्पन-2015 तद्दिनांक ।

1- अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सफदरजंग एयरपोर्ट, राजीव गॉधी भवन, नई दिल्ली।
2- सचिव, पर्यटन, उ0प्र0शासन।
3- मण्डलायुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
4- जिलाधिकारी, फैजाबाद।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।

आज्ञा से

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in